HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,

Dehradun (Uttarakhand)

UTTARAKHAND

UEPPCB

Action Taken Report

Original Application No. 1004 of 2019

In compliance of order dated 04.11.2019

of the

Hon'ble National Green Tribunal,

Principal Bench,

New Delhi

Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 1004 of 2019

Rajeev Raj Bhalla (Applicant)

Vs

State of Uttarakhand (Respondent)

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 04.11.019, The joint committee was formed by Member Secretary of Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun and committee meeting was held on 05.12.2019 and 19.12.2019 in presence of representative of Uttrakhand Tourism Development Board Garicantt, Dehradun and representative of Central pollution control board Pariwesh bhawan, East Arjun Nagar, Delhi. The minutes of meeting with attendance sheet is enclosed as **Annexure-01.** As per minutes of meeting:

1. The Uttrakhand Tourism Development Board, Dehradun has made a policy for establishment of Home Stay which is known as Home Stay Rule 2015 .

2. The main motto of Home Stay Policy is to check migration from hilly area and provide the employment to local residents and to familiar tourist with local culture.

3. The resident can registred up to maximum six number of rooms of their residence in Home Stay plan. The activity in home stay policy is kept as non-commercial.

4. The District registration and search Committee has been formed under District Tourism Officer for registration under 'Home stay' plan, which after due inspection and

considering the eligibility criteria seeks approval from concerning District Magistrate, While registration committee also verify domestic effluent treatment provision and solid waste management in the Home Stay.

5. The committee member visited a Home Stay site and found six number of rooms are established, where domestic effluent is being discharge in sewar line and biodegradable waste is being disposed through composting pit in the premises and non biodegradable waste is disposed through Nagar Nigam. In non-urban area, effluent is treated through septic tank and soak pit.

In above observation, committee found that maximum domestic effluent discharge will be 1.0 KLD for six rooms, the septic tank and soak pit will be sufficient disposal for domestic effluent. The solid (biodegradable) waste will be disposed through composting pit and non-biodegradable will be recycled. All the safeguard for environment protection of 'Home Stay' is being verified by concern District Tourist Officer before registration, so that the additional regulatory mechanism does not appear to be needed.

.....

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0 1004/2019 राजीव राय भल्ला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 के क्रम में आयोजित बैठक दिनांक 05.11.2019 व दिनांक 19.12.2019 का कार्यवृत्त।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0 1004/2019 राजीव राय भल्ला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 के क्रम में बोर्ड मुख्यालय में दिनांक 05.12.2019 को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून की अध्यक्षता में आहुत बैठक में उपस्थिति संलग्नक–1 के अनुसार रही।

सर्वप्रथम बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में विवरण से अवगत कराया गया। तत्पश्चात उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड के प्रतिनिधि श्री प्रदीप सिंह नेगी (प्रचार अधिकारी) द्वारा 'Home Stay' योजना के बारे में बताया गया। 'Home Stay' योजना मुख्यतः प्रदेश के सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ पर्यटकों को उत्तराखण्ड की संस्कृति एवं स्थानीय व्यंजनों को परिचित कराने के उद्देश्य से लायी गयी है। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गयाः–

- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अतिथि गृह आवास (Home Stay) नियमावली, 2015 यथा संशोधित के अन्तर्गत यह कहा गया है कि उन आवासीय भवनों को जहां अतिरिक्त आवास उपलब्ध है, अधिकतम 6 कक्ष तक,नियमानुसार उक्त नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने की व्यवस्था है।

- 'Home Stay' हेतु पंजीकृत कराये जाने वाले भवनों के सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता और 'Home Stay' में रहने वाले आगन्तुकों का निवास भी निर्धारित प्रारूप के द्वारा परिषद् को समयानुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

- 'Home Stay' योजना में पंजीकरण किये जाने हेतु जिला पर्यटन विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंजीकरण एवं परीक्षण समिति का गठन किया गया है जो कि नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण की कार्यवाही नियमावली के परिशिष्ट–2 पर इंगित चैकलिस्ट में उल्लिखित सुविधाओं/मानकों के आधार पर करती है। चैकलिस्ट के क्रमांक 24 में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु "कूड़ा–कचरा निस्तारण व्यवस्था म्यूनिसिपल कानून के अनुसार" प्राविधानित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त 26 बिन्दुओं पर परीक्षणोपरान्त सत्यापन कर ही समिति द्वारा पंजीकरण हेतु अनुमोदित किया जाता है।

- राज्य सरकार द्वारा 'Home Stay' योजना को पूर्णतः अव्यवसायी योजना घोषित किया गया है।

दिनांक 19.11.2019 को एक 'Home Stay' M/s Old British House, Rajpur Raod, Dehradun का निरीक्षण समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री जगदीश प्रसाद मीणा (वैज्ञानिक ग), राज्य बोर्ड प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द पंवार (सहायक पर्यावरण अभियन्ता) व श्री मनीष नेगी (सामुदायिक विकास अधिकारी), उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त 'Home Stay' में कुल 06 कमरे स्थापित थे, जिससे जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीवर लाईन के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि जैविक अपशिष्ट का निस्तारण परिसर में स्थापित composting pit के माध्यम से किया जाता है तथा अजैविक अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम के माध्यम से किया जाता है।

Jagdish

'Home Stay' योजना के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परियोजना में अधिकतम 06 कमरों को ही 'Home Stay' के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसमें लगभग 01 कि0ली0 उत्प्रवाह जनित होगा, चूंकि पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति कम है। जिसके शुद्धिकरण/निस्तारण हेतु, सैप्टिक टैंक/सोक पिट की व्यवस्था पर्याप्त होगी। अपशिष्ट के जैविक कूड़े का निस्तारण कम्पोस्टिंग पिट (Composting Pit) के माध्यम से तथा अजैविक कूड़े का निस्तारण समीपस्थ नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के माध्यम से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार 'Home Stay' हेतु घरेलू उत्प्रवाह के उपचार की व्यवस्था व जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का पृथककरण जैव विनाशित कचरे हेतु कम्पोस्टिंग व्यवस्था सम्बन्धित संचालकों द्वारा बनाये जाने की पुष्टि सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी से सुनिश्चित किया जाये। यह व्यवस्था अव्यवसायिक प्रकार की है, अतः उक्त हेतु सम्बन्धित जिले के जिला पर्यटन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य नियामक व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(सुभाष चन्द पंवार)
सहा0 पर्या0 अधि0
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून, उत्तराखण्ड

(सोमपाल सिंह)
पर्या0 अधि0
उत्तराखण्ड पर्यावरण
संरक्षण एवं प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून, उत्तराखण्ड

(अंजली सैमवाल)
सेफगार्ड विशेषज्ञ
पर्यावरण
उत्तराखण्ड पर्यटन
विकास परिषद,
देहरादून, उत्तराखण्ड

(प्रदीप सिंह नेगी)
प्रचार अधिकारी
उत्तराखण्ड पर्यटन
विकास परिषद, देहरादून,
उत्तराखण्ड

Jagdish 19/12/2019

(जगदीश प्रसाद मीणा)
वैज्ञानिक ग
केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय,
लखनऊ, उत्तरप्रदेश

(चन्दन सिंह)
मु0 पर्या0 अधि0
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून,
उत्तराखण्ड

(एस0पी0सुबुद्धि)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून,
उत्तराखण्ड